केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone

CWC CO-CD0DEDI/2022-COMM दिनांक : 10.01.2023

परिपत्र -217

विषय: मॉडल निविदा दस्तावेज में संशोधन के संबंध में

निम्नलिखित सारणीबद्ध खंड के संबंध में एचएंडटी ठेकेदार (जयपुर क्षेत्र) से प्राप्त पत्र और क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय ने वित्त प्रभाग, सीडब्ल्यूसी, निगमित कार्यालय , नई दिल्ली के परामर्श से निम्नलिखित सारणीबद्ध खंड की समीक्षा और जांच की है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मॉडल निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल किए गए हैं।

क्र.सं	खंड संख्या (आईटीटी के तहत)	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1.	10.2 तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, प्वाइंट नंबर 2 (टर्नओवर), दूसरा कॉलम (अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों के तहत)	निविदाकर्ता को बोली के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। यदि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का विवरण तैयार/लेखापरीक्षित नहीं किया गया है, तो पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के पिछले वर्ष के खातों को अपलोड किया जा सकता है। जहां निविदाकर्ता अपने खातों का ऑडिट कराने के लिए वैधानिक	निविदाकर्ता को बोली के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। यदि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का विवरण तैयार/लेखापरीक्षित नहीं किया गया है, तो पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के पिछले वर्ष के खातों को अपलोड किया जा सकता है।

		दायित्व के तहत नहीं है, वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर और कर के बाद लाभ को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है। सहकारी समितियों और लिमिटेड/निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते अनिवार्य हैं. प्रोपराइटर / पार्टनरशिप फर्म, जिनका टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद 200 लाख रुपये तक है उनको लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते, आयकर रिटर्न और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि निविदाकर्ता किसी भी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए टर्नओवर जमा नहीं करता है, तो उस वर्ष के टर्नओवर को निविदाकर्ता के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए "शून्य" माना जाएगा।	“सहकारी समितियों और लिमिटेड /निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते अनिवार्य हैं. प्रोपराइटर / पार्टनरशिप फर्म, जिनका टर्नओवर 200 लाख रुपये से अधिक है , वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते, आयकर रिटर्न और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।" जहां निविदाकर्ता अपने खातों का ऑडिट कराने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत नहीं है, वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर और कर के बाद लाभ को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड

			एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है। **यदि निविदाकर्ता किसी भी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए टर्नओवर जमा नहीं करता है, तो उस वर्ष के टर्नओवर को निविदाकर्ता के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए "शून्य" माना जाएगा।**

इन संशोधनों को अब से खाद्यान्न के लिए एचएंडटी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए प्रभावी बनाया जाना है। मॉडल निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

Digitally signed by RAJEEV KUMAR BANSAL
Date: 2023.01.10 13:45:42 +05'30'

(राजीव कुमार बंसल)
समूह महाप्रबंधक (वाणि.)

क्षेत्रीय प्रबंधक
केन्द्रीय भंडारण निगम
क्षेत्रीय कार्यालय
अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी,हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, पटना

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली। .
2. निदेशक (वित्त) के निजी सचिव. के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
3. समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (वित्त),के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
4. समूह महाप्रबंधक(प्रणाली),के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली - निविदा दस्तावेज को सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करने के अनुरोध के साथ।

नोट : परिपत्र के 217हिन्दी और अंग्रेजी के अनुवाद में भिन्नता होने पर परिपत्र 217के अंग्रेजी संस्करण को वैध माना जाये ।